Ph.No. 0151 - 2543419 (O)
2549348 (Fax)

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Dr. B.R. Chhipa
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या 117/2018

संदीप कुमार,
पुत्र श्री शिवदान सिंह,
गांव व पोस्ट लांबा,
वाया बगड़ जिला
झुन्झुनू (राज.) 333023

अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
बीकानेर

प्रत्यर्थी

अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 21.05.2018
अपील में निर्णय की दिनांक 14.06.2018

निर्णय

अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 26.03.2018 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 04.04.2018) के द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान नहीं की गई होने के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी/आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 26.03.2018 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 04.04.2018) प्रस्तुत कर सूचना चाही गयीं। कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 134 दिनांक 02.05.2018 के द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को अतिरिक्त शुल्क राशि जमा कराने हेतु लिखा गया। अपीलार्थी/आवेदक के द्वारा अतिरिक्त शुल्क राशि का भुगतान करने पर कुलसचिव एवं लोकसूचना अधिकारी के पत्रांक 150 दिनांक 18.05.2018 के द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को सूचना/प्रत्युत्तर भिजवायी गयी।

अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 26.03.2018 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 04.04.2018) के द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान नहीं की गई होने के आधार पर यह अपील प्रस्तुत कर सूचना देने की प्रार्थना की है। विश्वविद्यालय के पत्रांक एफ (अ–117/18)VCS/RAJUVAS/RTI/2018/162 दिनांक 07.06.2018 के द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 14.06.2018 नियत की गई होना अवगत करवाया गया। अपीलार्थी नियत सुनवाई तारीख को अनुपस्थित रहे। कुलसचिव एंव लोक सूचना अधिकारी की ओर से पक्ष प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी/आवेदक को पत्रांक 150 दिनांक 18.02.2018 के द्वारा सूचना भिजवा दी गयी है व अपील खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

उक्त वर्णित तथ्यों, तर्कों, संबंधित अभिलेख व नियमों के परिप्रेक्ष्य में अद्योहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को सूचना प्रदान की जा चुकी है व अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः उक्त तथ्यों व आधारो पर अपील अपीलार्थी खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय प्रति उभय पक्षों को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

(बी.आर. छीपा)
कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राजुवास, बीकानेर

कुल सचिव
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान
विश्वविद्यालय बीकानेर